न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 33/2020

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हापूराम 2. जेठाराम 3. गंगाराम पुत्रान हिमताराम 4. रामपाल पुत्र हापूराम जाति– माली निवासी–धोरू, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1.भगाराम पुत्र जवाराराम 2.कानाराम पुत्र जवाराराम जाति– माली निवासी– धोरू, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, भोपालगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.2020 को उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 53/2017 अनवान भगाराम वगैराह बनाम सरकार में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, प्रकाश भाटी विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से

:: **निर्णय** ::

दिनांकः

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.09.2017 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा धोरू के खसरा संख्या 1096/20 रकबा 06.15 बीघा भूमि उनकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि स्थित है जिसका बेचाननामा दिनांक 1.8.1983 के द्वारा पूर्व खातेदार श्रीराम व गायडराम से खरीद किया गया था। उक्त भूमि के पड़ौस की पूर्व दिशा में जोगाराम राईका, उत्तर व पश्चिम में हिमताराम का खेत, दक्षिण में कटाणी मार्ग है। वादग्रस्त भूमि के पडौस में ख0सं0 17 उत्तर में, ख0सं0 15 पश्चिम में, ख0सं0 20 की भूमि दक्षिण में स्थिति है तथा पीढियों से वहॉ सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 1096/20 की शुरू से ही नक्शे में तरमीम नहीं हुई है। उक्त भूमि का पटवारी हल्का ने बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत तरमीम नक्शा किश्तवार में

1

कर दी है जिसे निरस्त करते हुए दुरूस्त किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए मौके व वर्तमान स्थिति के अनुसार बेचान रजिस्ट्री व कब्जे के अनुसार तरमीम किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 को पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.02.2020 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1व 2 ने उपरोक्त नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार, भोपालगढ को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करने हेतु इन्कार किया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री के पडौस सरासर गलत दर्ज किये गये जिसके आधार पर तरमीम का प्रार्थना पत्र गलत तथ्य के आधार पर पेश किया। उक्त बेचान में दक्षिण में कटाणी रास्ता बताया गया है, जबकि ऐसा रास्ता राजस्व नक्शे में नहीं है। प्रार्थीगण को जो कब्जा सौंपा गया, उसकी जॉच तहसीलदार भोपालगढ की ओर से दिनांक 9.2.2016 को मौके पर मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष ख0सं0 1096/20 रकबा 06.15 बीघा को मौका फर्द में बताया गया है और उसी अनुसार तरमीम नक्शें में की गई है। उक्त तरमीम के विरूद्ध प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का उज्र एतराज/अपील पेश नहीं किया है। उपरोक्त तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र केवल ख0सं0 20 में अपीलान्ट के कब्जे की 02 बीघा भूमि जिसमें उनकी 50 वर्ष पुरानी ढाणी व पशुबाड़ा को हड़प करने की नियत से पेश किया है जो खारिज किया जावें। इसके अतिरक्त प्रार्थीगण ने अपीलान्ट के विरूद्ध कब्जा प्राप्ति का वाद संख्या 43/2017 प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त नियमित वाद पूर्व से ही पेश होने के कारण यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र कानूनी तौर पर चलने योग्य नहीं है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भोपालगढ से कब्जे की मौका रिपोर्ट तलब की, परन्तु तहसीलदार ने कोई मौका रिपोर्ट पेश नहीं की। पटवारी हल्का के द्वारा तैयार रिपोर्ट में नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम कब्जे के अनुसार दर्शायी है जिसको भी दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को बेचाननामें में दिखाये गये पडौस अनुसार तरमीम करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है, जो तहसीलदार के भूमि तरमीम आदेश दिनांक 9.2.

2016 की मौका रिपोर्ट के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त बेचाननामें में अंकित पडौस के अनुसार तरमीम करने का आदेश भी नियम विरूद्ध है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व की कब्जे के अनुसार की गई तरमीम को निरस्त करने में भारी भूल की गई है, जबकि पूर्व की तरमीम तहसीलदार के मौका कब्जा जॉच के बाद कब्जे के अनुसार की गई है जिसको नहीं माने जाने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में नहीं दिया है और नियमित वाद भी वर्तमान में लम्बित है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थीगण की ख0सं0 20 में बनी ढाणी व बाड़े के अन्दर आने वाली 02 बीघा भूमि सरकारी भूमि को हडप करने के लिये तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। उक्त 02 बीघा भूमि पर न तो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कब्जा है और न ही प्रत्यर्थीगण को बेचान से कब्जा प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में लिये उज्र एवं जवाब के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के व न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 को निरस्त करते हुए तहसीलदार भोपालगढ के आदेश व मौका रिपोर्ट दिनांक 9.7.2016 के अनुसार की गई तरमीम को बहाल रखा जावे।

5. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अपील में दशाई गई ख0सं0 1196/20 की भूमि सरकारी भूमि है जिसका पूर्व में मूल खसरा नम्बर 20 रहा है। उक्त खसरे में से 06.15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.09.2017 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम मौजा धोरू के खसरा संख्या 1096/20 रकबा 06.15 बीघा भूमि उनकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि स्थित है जिसका बेचाननामा दिनांक 1.8.1983 के द्वारा पूर्व खातेदार श्रीराम व गायडराम से खरीद किया गया था। उक्त भूमि के पड़ौस की पूर्व दिशा में जोगाराम राईका, उत्तर व पश्चिम में हिमताराम का खेत, दक्षिण में कटाणी मार्ग है। वादग्रस्त भूमि के पडौस में ख0सं0 17 उत्तर में, ख0सं0 15 पश्चिम में, ख0सं0 20 की भूमि दक्षिण में स्थिति है तथा पीढियों से वहॉ सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 1096/20 की शुरू से ही नक्शे में तरमीम नहीं हुई है। उक्त भूमि का पटवारी हल्का ने बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत तरमीम नक्शा किश्तवार में कर दी है जिसे निरस्त करते हुए दुरूस्त किया

जावें। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भोपालगढ से मौका रिपोर्ट तलब की थी। जिस पर तहसीलदार, भोपालगढ ने पटवारी हल्का से मौका फर्द तैयार करवाई गई। पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 में नजरी नक्शा भी बनाया जिसमें वर्तमान समय के मौके की सही–सही स्थिति तैयार कर दशाई गई।

6. रेस्पो.संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपीलान्टस की ओर से जवाब भी पेश किया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुने जाने के उपरान्त उनके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त खसरा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर वर्तमान स्थिति के अनुसार बेचान रजिस्ट्री व कब्जे के अनुसार तरमीम की जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 1192/15 के पास ख0सं0 20 की कोई सीमा नहीं लगती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार के द्वारा पेश रिपोर्ट को देखकर ही बेचान दस्तावेज के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा कुछ हिस्सा भूमि पर किये गये उल्लेखित कब्जे के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अपनी खरीदशुदा भूमि की गलत हुई तरमीम को दुरूस्त करने से न तो बाधित किया जा सकता है और न ही उसके अधिकार समाप्त किये जा सकते है।

7. रेस्पो.संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बेदखली का दावा दायर हो रखा है और विचाराधीन है, तो इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा मात्र अपनी खरीदशुदा भूमि की राजस्व नक्शे में पूर्व में बिना किसी आदेश की कई तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु अपीलाधीन कार्यवाही की गई है, उक्त वाद से उस पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान की विस्तृत बहस सुनने तथा प्रस्तुत दसतावेजात, तहसीलदार, भोपालगढ के द्वारा प्रस्तुत मौके व वर्तमान स्थिति के अनुसार बेचान रजिस्ट्री व कब्जे के अनुसार पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए तरमीम दुरूस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 को पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में ख0सं0 1096/20 रकबा 06.15 बीघा भूमि के हुए बेचान के निष्पादित दस्तावेज दिनांक 01.08.1983 में पडौस गलत दर्ज किये गये है और उनके द्वारा कब्जा प्राप्ति का वाद संख्या 43/2017 प्रस्तुत कर रखा है तथा ख0सं0 20 मे 02 बीघा सरकारी भूमि में अपीलान्ट की बनी हुई ढाणी व बने हुए बाडे की भूमि को हड़प करना चाहते है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार भोपालगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिसमें दर्शाये गये नजरी नक्शा के अनुसोर रेस्पो0 संख 1 व 2 की ओर से खरीद की गई भूमि के बेचान दस्तावेज के अनुसार दर्शाये गये पडौस की स्थिति का परीक्षण कर, उक्त बेचान दस्तावेज एवं मौके पर कब्जे के अनुसार पूर्व में हुई तरमीम को निरस्त कर बेचान दस्तावेज एवं मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम करने का जो आदेश दिया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्टस ख0सं0 20 की सरकारी भूमि पर बने ढाणी व बाडे तथा बेचान दस्तावेज में पडौस गलत दर्ज होने के आधार पर किसी खातेदार को उनकी खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे की दुरूस्ती करने से नहीं रोक सकता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 विधि के अनुरूप होने से उसके किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.3.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर